भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1682
दिनांक 03.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल प्रदूषण की स्थिति

1682 श्री नीरज शेखर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देशभर में परीक्षण किए गए जल के नमूनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें पीने योग्य जल की उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त मापदंडों, जैसे रासायनिक, जैविक तथा भारी धातु संदूषण का ब्यौरा शामिल हैं;
(ख) उन राज्यों अथवा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेययोग्य पेयजल की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है तथा उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें असुरक्षित अथवा संदूषित घोषित किया गया है; और
(ग) जल के नमूने एकत्र करने तथा उनकी जाँच करने के लिए उत्तरदायी अभिकरणों, जाँच की आवृत्ति तथा अपनाए गए मानकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर, पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के तहत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार वित्तीय, नीतिगत मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करके उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करती है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को बैंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पेयजल गुणवत्ता के लिए विभिन्न भौतिक-रासायनिक और जीवाणु संबंधी पैरामीटरों के लिए 'वैकल्पिक स्रोत के अभाव में अनुमेय सीमा' और 'स्वीकार्य सीमा' विनिर्दिष्ट करता है।

जेजेएम के तहत, पेयजल के लिए जल गुणवत्ता, नमूना संग्रहण आदि हेतु पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट सहित जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन सूचना देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने हेतु, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report पर देखा जा सकता है। जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस पर उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता के मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक स्वच्छ जल स्रोतों/थोक जल अंतरण के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। इसके अलावा, जेजेएम के तहत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति योजना को उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकार की स्रोत खोज समिति की साथ सिफारिश के बाद ही, इस आशय के साथ अनुमोदित किया जाता है कि अभिचिह्नित जल स्रोत, जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में योजना डिजाइन अवधि के लिए आवश्यक मानदंड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने की पर्याप्त क्षमता है।

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

अनुबंध

दिनांक 03.08.2023 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1682 के उत्तर के भाग (क) से (ग) में उल्लिखित अनुबंध

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संसूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य	प्रयोगशाला में जांचे गए नमूनों की संख्या					
		2021-22	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027*
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	992	1,152	984	1,172	2,723	660
2.	आंध्र प्रदेश	364606	6,14,014	6,99,999	6,86,179	7,15,401	1,96,960
3.	अरुणाचल प्रदेश	26007	29,178	39,238	22,271	10,364	1,357
4.	असम	216323	1,69,108	2,97,405	2,70,466	2,05,120	58,831
5.	बिहार	202493	2,32,425	1,60,783	2,74,547	1,36,626	44,410
6.	छत्तीसगढ़	68935	1,11,208	1,23,175	1,60,891	1,01,593	29,193
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	0	-	-	-	-	-
8.	गोवा	8571	8,881	10,336	13,660	7,530	786
9.	गुजरात	239232	2,57,489	1,53,057	71,204	3,12,531	1,21,715
10.	हरियाणा	96910	82,725	69,702	60,757	44,717	19,130
11.	हिमाचल प्रदेश	266754	1,98,497	2,20,428	2,41,458	2,75,154	68,661
12.	जम्मू एवं कश्मीर	197360	2,67,334	2,53,364	2,66,547	3,10,370	94,567
13.	झारखंड	149724	1,95,314	2,14,431	2,18,562	2,10,621	71,186
14.	कर्नाटक	159533	2,22,732	2,66,532	3,21,759	2,56,206	1,00,874
15.	केरल	241787	4,55,436	6,36,043	7,00,732	3,63,041	90,603
16.	लद्दाख	5359	5,480	7,706	10,229	8,325	648
17.	लक्षद्वीप	3483	4,778	6,880	7,897	3,576	812
18.	मध्य प्रदेश	344612	6,37,637	5,74,409	5,74,798	4,88,653	2,33,446
19.	महाराष्ट्र	69215	3,93,623	6,42,396	5,87,570	5,47,688	2,15,939
20.	मणिपुर	17413	22,373	17,413	19,508	5,773	1,152
21.	मेघालय	7104	32,805	51,836	40,657	37,580	20,319
22.	मिजोरम	18930	37,306	29,224	21,908	7,788	2,572
23.	नागालैंड	4308	12,747	7,947	6,751	1,258	449
24.	ओडिशा	216816	2,37,965	2,60,445	2,72,406	2,42,555	87,400
25.	पुदुचेरी	942	997	818	287	-	-
26.	पंजाब	14930	24,616	33,107	67,481	69,953	22,961
27.	राजस्थान	111407	1,41,441	1,98,476	1,80,063	73,144	13,068
28.	सिक्किम	6252	7,689	15,527	17,297	8,436	2,965
29.	तमिलनाडु	346263	6,71,421	8,48,706	9,07,742	9,43,022	3,40,877
30.	तेलंगाना	223180	2,46,089	2,91,673	2,85,183	2,78,446	85,400
31.	त्रिपुरा	30939	19,572	50,701	82,287	55,538	18,083
32.	उत्तर प्रदेश	99006	3,16,618	6,23,246	10,67,899	8,25,798	1,72,340
33.	उत्तराखंड	71203	93,407	1,19,958	1,25,553	1,06,444	38,005
34.	पश्चिम बंगाल	341587	4,67,718	5,74,096	6,82,526	4,74,910	91,110

*आज की तारीख तक

स्रोत: जेजेएम-डब्ल्यूक्यूएमआईएस